# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 58 / 2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सुखराम पुत्र कुनाराम जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर। | | 1 ग्राम पंचायत रोल पंचायत समिति मुण्डवा जिला नागौर।<br>2 भूराराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी रोल पंचायत समिति मुण्डवा जिला नागौर। |

उपस्थिति–

1 श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री मो. शाहीद सिलावट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

**निर्णय** दिनांक 19.03.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा बुक संख्या 12 संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.07.2017 की पालना में पट्टा दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.07.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 31.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बाजवूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री मो. शाहीद सिलावट अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा दिनांक 07.07.17 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 26, 27 व 80 की फोटोप्रति, बंटवाडा दिनांक 18.04.65 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी जायल के पत्र दिनांक 07.07.23 की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2023 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम पंचायत रोल, पंचायत समिति मुण्डवा द्वारा संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.07.2017 की पालना में दिनांक 07.07.2017 को अप्रार्थी भूराराम के हक मे बुक संख्या 12 के जरिये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान दिनांक 14.04.2017 से 12.07.2017 के तहत प्रारूप 23–क नियम 157 (1) के जरिये कुल 2800 वर्गफुट का अवासीय पटटा बिना जांच किये, बिना मौका देखे, पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विपरीत, बिना सार्वजनिक आपतियां आहुत किये, सावर्जनिक रास्ते की भूमि को बिना अधिकार शामिल किये गेर कानूनी पटटा जारी किया हैं, जो निगरानी के क्षेत्राधिकार के जरिये निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी, निगरानीकर्ता स्वीकार योग्य है।

2(2)–ग्राम रोल में से आबादी के पास से नागौर, डीडवाना, कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है तथा उक्त राजमार्ग के उतरी तरफ करीम बख्श, सुखराम (निगरानीकर्ता), रामनिवास पुत्र धुलाराम व उससे उतर में नाथूराम पुत्र पूसाराम व नाजूदीन पुत्र नजबुदीन व उससे उतर में रोशन के पुत्र शकीर व उससे आगे खुदाबख्श व उससे उतर में रमजान के पटटासुद आवासीय मकान हैं, जिसके पश्चिम में करीब 25–30 फुट सार्वजनिक रास्ता रहता आया हैं, निगरानी के साथ अजय डिडेल का पटटा संख्या 27, संजय डिडेल का पटटा संख्या 26 व प्रार्थी सुखराम के पूर्वज कानाराम वल्द रामनाथ इत्यादि के पटटे की नकले पेश की गई, जिसमें पश्चिम में रास्ता होने के प्रमाण हैं, मौके पर थी तथाकथित रास्ता मौजूद है। ग्राम पंचायत व नागरिको की जानकारी में उक्त रास्ता होते हुए भी प्रार्थी निगरानीकर्ता के पूर्वजों के पटटे के पश्चिम में चिपता हुआ पटटा रास्ते की 30 फुट भूमि को शामिल करते हुए, गैर कानूनी रूप से बनाया हैं, जो निगरानी के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निरस्त करने योग्य है।

2(3)– ग्राम पंचायत रास्ते की सुरक्षा करने हेतु रास्ते की ट्रस्टी हैं, भूमि विक्रय के जरिये सार्वजनिक रास्ते की भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हैं, फिर भी ग्राम पंचायत रोल ने चुपके चुपके 30 फुट चौडा रास्ता का पटटा जारी करने में कानूनी त्रुटि की हैं, अतः पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

19/3/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)– ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पालना करते हुए पुराने कब्जे का नियमन कर पटटा जारी करने का अधिकार हैं, मगर पटटे से संबंधित भूमि पर सैकडों सालो से रास्ता होते हुए एवं पटटाधारी का पुराना कब्जा नहीं होते हुए भी पटटा जारी कर त्रुटि की है।

2(5)–प्रार्थी के मकान व बाडे का पटटा पूर्वजों के नाम सन 1953 संवत 2009 को जारी किया हुआ हैं, जिसमें प्रार्थी निवास व बाडे के पश्चिम में राजपथ व मार्ग दर्ज हैं, इस पर कई दशको से पश्चिम दक्षिणी कोने पर प्रार्थी के बाडे का निकाल हैं, अप्रार्थी भूराराम पटटा जेर निगरानी के आधार पर प्रार्थी का रास्ता बंद करना चाहता हैं, अप्रार्थी ने निगरानीकर्ता के उतरी पश्चिमी कोने पर रातों रात कुटुम्ब के लोगो को इक्कठा कर पत्थर, चूना, सीमेंट से दीवारे निकालकर उपर चद्दर लगाकर कमरानुमा निर्माण किया, तब मौहल्लेदारों ने एतराज करते हुए ओलबा दिया तो अप्रार्थी भूराराम ने कहा कि आपके एतराज की मुझे जानकारी नहीं थी व पास में खुला खेत पडा हैं, इसलिए मैने निर्माण करवाया हैं, व आपको एतराज है तो हटा लूंगा, मगर जुलाई के पहले सप्ताह में भराव डालना शुरू कर दिया व एलानियां घोषणा की कि उसने कुछ वर्षो पहले रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए 30 फुट रास्ते को पटटे में लेते हुए 40 गुणा 70 फुट भूमि का पटटा बनवा लिया हैं, तब प्रार्थी ने रास्ते पर किये गये अतिक्रमण की एक शिकायत एसडीओ जायल के समक्ष पेश की, जिन्होंने रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने हेतु क्रमांक/राजस्व/जन सुनवाई/2023/485 दिनांक 07.07.2023 को रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु विकास अधिकारी को पत्र दिया, मगर अभी तक विकास अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की व 2–3 सप्ताह घुमने के बाद आज दिनांक 24.07.2023 को ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी भूराराम के नाम की पटटे की फोटो प्रति को प्रमाणित कर बिना तारीख दर्ज कर नकल दी हैं, जिसके विरूद्व निगरानी पेश की।

2(6)–ग्राम पंचायत के संकल्प दिनांक 05.07.2017 व पटटा पत्रावली के तथ्यो तथा मौके पर सावर्जनिक रास्ता होने के तथ्य व अन्य पटटो में रास्ता दर्ज होने से निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार योग्य है तथा पटटा बिना नम्बरी, बुक संख्या 12, प्रारूप 23–क, नियम 157 (1) अप्रार्थी भूराराम के नाम का संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.07.2017 जारी करने की तारीख 07.07.2017 ग्राम पंचायत रोल का रिकार्ड व पटटा पत्रावली तलब की जाकर खारिज की जाने योग्य है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–निगरानीकर्ता सुखाराम पुत्र कुनाराम जाट निवासी रोल ने उक्त निगरानी सरासर गलत आधारों पर पेश की है। ग्राम पंचायत रोल पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर ने विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रारूप–23क, नियम 157(1) के तहत बुक संख्या 12 पटटा संख्या 9 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अधीन जारी किया था। उक्त पटटा दिनांक 08.11.17 को उप पंजीयक कार्यालय जायल में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 316 में पृष्ठ संख्या 188 क्रम संख्या 201703226104595 पर पंजीबद्व हो रखा है व अप्रार्थी भुराराम बहैसियल मालिक मौके पर काबिज है। उक्त विधि सम्मत पट्टा को बिना किसी आधार के न्यायालय में गलत रूप से चुनोती दी है।

3(2)–पटटा विधिवत पंजीयनसुदा है तथा पंजीबद्व दस्तावेज पटटा को धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा में चुनोती नहीं दी जा सकती है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही हो सकती है। जिससे भी निगरानी धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं है।

3(3)–हस्तगत पट्टा से संबंधित जायगा आबादी क्षेत्र में होने से स्थानीय निकाय ने विधिवत जांच करके व पटटा हेतु पत्रावली में मौका निरीक्षण करवा कर व संबंधित विधिक प्रक्रिया की पालना करने के पश्चात ही पटटा जारी किया था तथा आस पास अन्य कई लोगो के वहां पटटे जारी किये हुए है मगर निगरानीकर्ता सुखाराम अप्रार्थी भुराराम से अदावत रखने के कारण नाजायज परेशान करने के लिए विधिसम्वत पटटा को गलत आधारों पर चुनोती दी है।

3(4)–अप्रार्थी भुराराम के नाम जो पटटा जारी हुआ है उसमें रास्ता की कोई भूमि शामिल नहीं की गयी है रास्ता मौके पर जिस स्थिति में था उसी अनुसार आज दिन मौजूद है।

3(5)–प्रार्थी निगरानीकर्ता ने कोई अतिक्रमण की रिपोर्ट की है तो सरासर गलत की है तथा प्रशासन ने ऐसा कोई अतिक्रमण अप्रार्थी भुराराम का नहीं माना है। इस कारण उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

19/3/25

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत रोल द्वारा बुक संख्या 12 संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.07.2017 की पालना में पट्टा जारी दिनांक 07.07.2017 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। हस्तगत प्रकरण में 311 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायत राज नियमावली के नियम 157 (1) (i) के अनुसार 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्र का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त नियम की पालना करना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत रोल, पंचायत समिति, मुण्डवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रोल द्वारा बुक संख्या 12 संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.07.2017 की पालना में अप्रार्थी सं. 2 भूराराम पुत्र मंगलाराम के पक्ष में दिनांक 07.07.2017 को पट्टा जारी किया गया के संबंध मे, उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/3/17

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर